

उत्तर प्रदेश शासन  
नगर विकास अनुभाग-5  
संख्या:- 77/नौ-5-2022-4सा/2022  
लखनऊ: दिनांक: 11 जनवरी, 2022

### कार्यालय-ज्ञाप

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफार्मेशन-2.0 (AMRUT 2.0 - Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation 2.0) योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त योजना को योजना के Final Operational Guidelines के अनुरूप प्रदेश के नागर स्थानीय निकायों में क्रियान्वित किया जाना है। अतः योजना के प्रदेश में सफल क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति (State level High Power Steering Committee-SHPSC) का निम्नानुसार गठन किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-


1	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (वित्त)	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (आवास एवं शहरी नियोजन)	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (पर्यावरण एवं वन)	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (ग्राम्य विकास)	सदस्य
6	शहरी एवं आवासन कार्य मंत्रालय (MoHUA) के प्रतिनिधि	सदस्य
7	राज्य मिशन निदेशक (अमृत 2.0)	सदस्य
8	निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ	सदस्य
9	प्रबंध निदेशक, उ०प्र० जल निगम	सदस्य
10	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (नगर विकास)	सदस्य सचिव

2- उक्त समिति अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफार्मेशन-2.0 (AMRUT 2.0 - Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation 2.0) योजना के Final Operational Guidelines में वर्णित समस्त क्रिया-कलापों/दायित्वों का निर्वहन करेगी।

  
(अनुराग यादव)  
सचिव

संख्या-77(1)/नौ-5-2022-4सा/2022 एवं तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
  - 2- अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
  - 3- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
  - 4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/आवास एवं शहरी नियोजन/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/लोक निर्माण/परिवहन एवं वन विभाग, उ०प्र० शासन।
  - 5- आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के नामांकित प्रतिनिधि।
  - 6- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
  - 7- राज्य मिशन निदेशक, अमृत/निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।।
  - 8- प्रबंध निदेशक, उ०प्र० जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
  - 9- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
  - 10- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
  - 11- निदेशक, सी०एण्डडी०एस०, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
  - 12- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
  - 13- निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
  - 14- नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
  - 15- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,  
  
(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव।